भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 152025

ट्रस्ट–डीड

स्टाम्प शुल्क – 800/– रुपये

हम कि श्री अनिल जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन निवासी पट्टी औरंगाबाद खेकड़ा (बागपत) मुकेश जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन निवासी पट्टी औरंगाबाद खेकड़ा (बागपत) के है जिन्हे आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/– रुपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, कि लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियो एवं प्रावधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेगें। उक्त न्यासीगण ने उक्त

क्रमशः 2.

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Edu... ...al & Welfare Trust
Khekra, Baghpat

Principal
St. Marry Inter College
Rotol, Baghpat

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 570976

ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि:-

1. उक्त ट्रस्ट का नाम सेठ धनपाल चन्द जैन एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट (Seth Dhanpal Chand Jain Educational & Welfare Trust) होगा।

2. उक्त ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्ति ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होगे।

(i) सुनिल जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकडा (बागपत) — व्यवस्थापक

(ii) मुकेश जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकडा (बागपत) — व्यवस्थापक

(iii) नरेश जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकडा (बागपत) — ट्रस्टी

(iv) राकेश जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकडा (बागपत) — ट्रस्टी

(v) राजेश जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकडा (बागपत) — ट्रस्टी

क्रमशः 3..

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Educational & Welfare Trust
Khekra Baghpat

Principal
St. Mary's Inter Coll.
Rataul Baghpat

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 572205

(vi) विकास जैन पुत्र श्री धनपाल चन्द जैन
पट्टी औरंगाबाद, खेकड़ा (बागपत)

3. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय मेन रोड निकट अकेला कोठा खेकड़ा (बागपत) पर होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

4. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण

क्रमशः 4

अनिल कुमार जैन

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Educ... & Welfare Trust
Khekra Baghpat

Principal
St. Mary's Inter College
Rajol, Baghpat

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 572469

करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास की उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण समय-समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यो के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त किसी भाग को आगे दियें गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वागीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

(i) डेन्टल कालिज, मेडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

(ii) इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

(iii) स्कूल कालिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(iv) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

क्रमशः 5..

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Education & Welfare Trust
Baghpat

Principal
St. Mary's Inter College
Baraut Baghpat

(v) जमीन, जयादाद आदि खरीदना, प्राप्त करना उन्हे विक्रय करना तथा हस्तान्तरण करना।

(vi) समाज के सभी वर्गो के जरूरतमदों के लिये छात्रवृति सहायता आदि कार्य करना।

(vii) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(viii) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

(ix) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(x) स्कूल व कालिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(xi) शैक्षिक किताबो/ पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(xii) समस्त मानव मात्रकल्याण के लिये कार्य करना।

(xiii) निर्माण कार्य आदि करना।

(xiv) ट्रस्ट की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ताकि समाज व मानव जाति के कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से न्यास कर सके।

(xv) वह सभी कार्य करना जो समस्त समाज व मानव जाति के लिये कल्याणकारी हों।

7. यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में किसी या किन्ही भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये

क्रमश: 6

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Educati...al & Welfare Trust
Khekra Baghpat

Principal

व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि ट्रस्टीयों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा ट्रस्टीयों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानो का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अधिकार ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर नही होगा।

11. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने से अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष, व उपसचिव नियुक्त करेंगे। सभी ट्रस्टीयों का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा।

12. यह कि श्री अनिल जैन उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष, व श्री मुकेश जैन उक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव तथा श्री नरेश चन्द जैन प्रथम कोषाध्यक्ष होंगे।

13. यह कि पदाधिकारी के निम्न कर्तव्य व दायित्वा होंगे।

अध्यक्ष– ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिये तथा ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्तावों व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठको को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर

क्रमशः 7..

Secretary
Seth Dhanpat Chand Jain Educational & Welfare Trust
Khekra Baghpat

Principal
Jain College
Khekra

अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों को पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना एव सभी विभागो से पत्राचार करना।

उपसचिव– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष– ट्रस्ट के दैनिक आय व्यय का हिसाब रखना व उसका ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जोकि सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते सावधि जमा खाते, सेविंग बैंक खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं सचिव के साथ करना।

14. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य सभी ट्रस्टियों की सहमति से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष करेंगे।

15. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यो उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे उसे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतयः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

क्रमशः 8..

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Education & Welfare Trust
Khekra Baghpat

Principal
St. Marry Inter College
Road, Baghpat

16. किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें और ये सिलसिला आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा।

17. यह कि सभी ट्रस्टियों की सहमति से ही अन्य ट्रस्टी रखने व सदस्य बनाने तथा उसको हटाने का अधिकार होगा।

18. यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन कम से कम 2/3 ट्रस्टियों की सहमति से ही होगा।

19. यह कि ट्रस्टी की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/2 अथवा चार ट्रस्टीयों का होगा यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

21. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को अपने तकनीकी कौशल के अनुसार ट्रस्टीगण व्यवसायिक सेवा के लिये उचित पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे। ट्रस्टी की मृत्यु के बाद इनकी सन्तान पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

22. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य

क्रमशः 9..

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Edu... & Welfare Trust
... Baghpat

Principal
St. Marry Inter Colli...
... Baghpat

के करण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होगें।

23. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट का उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य करने हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शमिल हैं, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24. यह कि ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है परन्तु सभी उक्त बैंकिग एकाउन्ट्स खातों का संचालन तीन पदाधिकारियों के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे।

25. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीकें से बजाप्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि सभी ट्रस्टीयों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा व सी.ए द्वारा अंकेक्षित कराया जायेगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पति किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्टी के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर या किराये पर या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

Principal
St. Mary's Inter College
क्रमांक: 10

Secretary
Seth Dhanpal Chand Jain
Education & Welfare Trust
Kheka Baghpat

28. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियाँ उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना फिर क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगें

29. यह कि अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय–समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

30. यह कि अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरो ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट प्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

32. उपरोक्त प्रथम छः ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को हटाने का अधिकार प्रथम पांच ट्रस्टीयों की आपसी सहमति से होगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप दोनों व्यवस्थापको ने अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

गवाह :–　　　　　　　　　　गवाह :–

Principal
St. Mary [illegible] College
Raid, Baghpat

Secretary
Seth Dhannal Chand Jain
Educational & Welfare Trust
Khekra Baghpat

बही नम्बर IV [illegible] 5 [illegible] के पृष्ठ [illegible] १११–११८

में [illegible] आज दिनांक 19-[illegible]-08

को रजिस्ट्री की गयी।

उप-निबन्धक

[illegible]